10.2.18	राष्ट्रीय लोक अदालत में पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 उप. वादी की प्रार्थना पर मूल दावा खारिज किया जा चुका है, अब प्रार्थना पत्र चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

Scanned by CamScanner